न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर

पीठासीन अधिकारी– मिथलेश कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व वाद/22/2020

1. पुष्पा कंवर पत्नी विक्रम सिंह उर्फ बोदू सिंह उम्र 55 वर्ष
2. सरदार सिंह पुत्र विक्रम सिंह उर्फ बोदू सिंह उम्र 29 वर्ष
3. पिंकी कंवर पुत्री विक्रम सिंह उर्फ बोदू सिंह उम्र 23 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण मोल्यासी तहसील धोद जिला सीकर

–वादीगण

ब ना म

1. चान्द सिंह पुत्र विशाल सिंह जाति राजपूत निवासी मोल्यासी तहसील धोद जिला सीकर
2. इचरज कंवर पुत्री विशाल सिंह पत्नी गुलाब सिंह उम्र 38 वर्ष जाति राजपूत निवासी मगसर तहसील व जिला चुरू
3. तहसीलदार, तहसील धोद जिला सीकर
4. पटवारी, पटवार हल्का, दुगोली तहसील धोद जिला सीकर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड संशोधन

अ. धा. 88 राज. काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं अ.धा. 136 एल आर एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री भवानीसिंह, वकील वादीगण की ओर से
2. श्री गौरीशंकर सैनी, वकील प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 से

–:निर्णय:–

दिनांक– 08.09.2021

01. वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 के संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक कृषि भूमियां खसरा सं. 304 रकबा 2.64 हेक्टेयर, खसरा सं. 305 रकबा 0.47 हेक्टेयर, खसरा सं. 306 रकबा 0.08 हेक्टेयर, खसरा सं. 308 रकबा 0.52 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.71 हेक्टेयर, जिनके पुराने खसरा सं. 317 मि. 14 बीघा 1 बिस्वा पक्की वाके ग्राम मोल्यासी पटवार हल्का दुगोली तहसील धोद जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उक्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 01 तथा अन्य सहखातेदारों के दादा/पड़दादा करणसिंह उर्फ कर्णाल सिह पुत्र नाहर सिंह जाति राजपूत निवासी मोल्यासी के नाम से चली आ रही है। जिनकी वंशावली निम्न प्रकार से है–

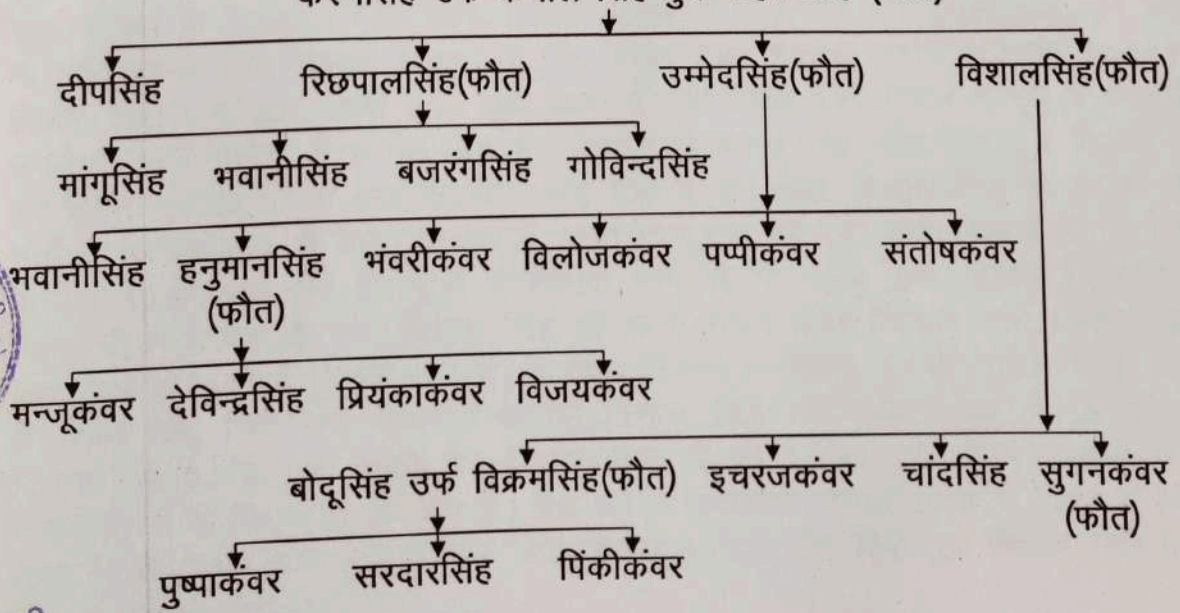

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उक्त आराजियात के संबंध में जमाबंदी संवत् 2017–2020 के खसरा सं. 317 मि. 14 बीघा 1 बिस्वा पक्की में करनाल सिंह पुत्र नाहरसिंह का हिस्सा 1/4, विशालसिंह पुत्र करणसिंह का हिस्सा 1/4 व लादू पुत्र पीथा का हिस्सा 1/4 तथा पेमा पुत्र दूदा का हिस्सा 1/4 है। जमाबंदी संवत् 2021–2024 में खसरा सं. 317 मि. रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा पक्की में करनाल सिंह पुत्र नाहरसिंह का हिस्सा 1/8, विशालसिंह पुत्र करणसिंह का का हिस्सा 1/4 व लादू पुत्र पीथा का हिस्सा 1/4 तथा पेमा पुत्र दूदा का हिस्सा 1/4 है जमाबन्दी सम्बवत 2021 से 2024 में खसरा नम्बर 317 मि. रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा पक्की में करनाल सिंह पुत्र नाहर सिंह का हिस्सा 1/8, विशाल सिंह पुत्र करण सिंह का हिस्सा 1/4 व लादू पुत्र पीथा का हिस्सा 1/4 तथा पेमा पुत्र दूदा का हिस्सा 3/8 रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित है। जमाबन्दी सम्बवत 2029 से 2032 में खसरा नम्बर 317 मि. रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा पक्की में दीप सिंह, रिछपाल सिंह, उम्मेद सिंह, विशाल सिंह पुत्रगण करनाल सिंह का सयुक्त रूप से हिस्सा 1/8, विशाल सिंह पुत्र करण सिंह का हिस्सा 1/4 व लादू पुत्र दूदा का हिस्सा 1/4 तथा पेमा पुत्र दूदा का हिस्सा 3/8 रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित है। जमाबन्दी सम्वत 2033 से 2036 में खसरा नम्बर 317 मि. रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा पक्की में दीप सिंह, रिछपाल सिंह, उम्मेद सिंह, विशाल सिंह पुत्रगण करनाल सिंह का सयुक्त रूप से हिस्सा 1/4, दीप सिंह, रिछपाल सिंह, उम्मेद सिंह, विशाल सिंह पुत्रगण करनाल सिंह का सयुक्त रूप से हिस्सा 1/4, विशाल सिंह पुत्र करण सिंह का हिस्सा 1/4 व लादू पुत्र दूदा का हिस्सा 1/4 का हिस्सा रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित है। जमाबन्दी सम्वत 2046 से 2049 में पुराने खसरा नम्बर 317 मि. रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा पक्की जिनके नये खसरा नं. 304 रकबा 2.64 हैक्टर, खसरा नं. 305 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नं. 306 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं. 308 रकबा 0.52 कुल किता 4 कुल रकबा 3.71 हैक्टर में दीप सिंह, रिछपाल सिंह, उम्मेद सिंह, विशाल सिंह पुत्रगण करनाल सिंह का सयुक्त रूप से हिस्सा 1/4, पोखरराम पुत्र रघुराम का हिस्सा 5/16, दीप सिंह, रिछपाल सिंह, उम्मेद सिंह, पुत्रगण करनाल सिंह का सयुक्त रूप से हिस्सा 2/16, विशाल सिंह पुत्र करण सिंह का हिस्सा 1/4, सुगन कंवर बेवा विशाल सिंह, बोदू सिंह, चांद सिंह पिता विशाल सिंह का सुयक्त रूप से हिस्सा 1/16 रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित है। जमाबन्दी सम्वत 2054 से 2057 में पुराने खसरा नम्बर 317 मि. रकबा 14 बीघा 1 बिस्वा पक्की जिनके नये खसरा नं. 304 रकबा 2.64 हैक्टर, खसरा नं. 305 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नं. 306 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं. 308 रकबा 0.52 कुल किता 4 कुल रकबा 3.71 हैक्टर में दीप सिंह, रिछपाल सिंह, उम्मेद सिंह, विशाल सिंह पुत्रगण करनाल सिंह का सयुक्त रूप से हिस्सा 1/4, पोखरराम पुत्र रघुराम का हिस्सा 5/16, दीप सिंह, रिछपाल सिंह, उम्मेद सिंह, पुत्रगण करनाल सिंह का सयुक्त रूप से हिस्सा 2/16, विशाल सिंह पुत्र करण सिंह का हिस्सा 1/4, सुगन कंवर बेवा विशाल सिंह, बोदू सिंह, चांद सिंह पिता विशाल सिंह का सुयक्त रूप से हिस्सा 1/16 रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित है। इसके बाद भूमि खसरा नं. 304 रकबा 2.64 हैक्टर, खसरा नं. 305 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नं. 306 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं. 308 रकबा 0.52 कुल किता 4 कुल रकबा 3.71 हैक्टर में भूल व सहवन से उपरोक्त कृषि भूमियों में उम्मेद सिंह पुत्र विशाल हिस्सा 3/32, दीप सिंह पुत्र विशाल सिंह का हिस्सा 3/32 लिखा गया जबकि उम्मेद सिंह व दीप सिंह, विशाल सिंह के पुत्र न होकर भाई थे जिनके नाम से रेवन्यू रिकार्ड में गलत नाम दर्ज हो गया तथा विशाल सिंह की मृत्यु दिनांक 10.07.1985 को हो चुकी है जिनके नाम से भी 1/4 हक हिस्सा रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित है तथा विशाल सिंह की पत्नी सुगन कंवर जिनकी मृत्यु दिनांक 19.08.2011 को हो चुकी है जिनके नाम से भी रेवन्यू रिकार्ड में हिस्सा 1/48 अंकित चला आ रहा है। तथा बोदू सिंह उर्फ विक्रम सिंह जो विशाल सिंह के जायन्दा पुत्र थे जिनकी मृत्यु दिनांक 19.10.2001 को चुकी है। जिनके नाम से भी 1/48 हक हिस्सा रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित चला आ रहा है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 में अंकित नामो में से उम्मेद सिंह पुत्र विशाल सिंह हिस्सा 3/32, दीप सिह पुत्र विशाल सिंह हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

3/32, विशाल सिंह पुत्र करण सिंह हिस्सा 1/4, सुगन कंवर पत्नी विशाल सिंह हिस्सा 1/48 तथा बोदू सिंह उर्फ विक्रम सिंह पुत्र विशाल सिंह हिस्सा 1/48 का नाम हजब किया जाकर विशाल सिंह के वारिसों प्रतिवादी संख्या 1 चान्द सिंह पुत्र विशाल सिंह तथा विशाल सिंह की जायन्दा पुत्री इचरज कंवर, विशाल सिंह के जायन्दा पुत्र बोदू सिंह उर्फ विक्रम सिंह के जायन्दा पुत्र व पुत्री वादीगण संख्या 2 व 3 तथा पत्नी वादी संख्या 1 के नाम से नामान्तकरण खोला जाकर उनका हिस्सा सम्पूर्ण भूमि का वादीगण के पक्ष में सयुक्त रूप से 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में 1/6 व प्रतिवाद संख्या 2 के पक्ष में 1/6 खोला जाना उचित आवश्यक एंव न्याय संगत है। यह कि वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 लगायत 3 के पिता विक्रम सिंह का नाम गांव में बोलचाल की भाषा में बोदू सिंह कहा जाता था इस कारण नामान्तकरण भरते समय भूल व सहवन से बोलचाल की भाषा में उपरोक्त समस्त कृषि भूमियों में विक्रम के नाम से नामान्तकरण न भरा जाकर बोदू सिंह के नाम से नामान्तकरण भर दिया गया। विक्रम सिंह उर्फ बोदू सिंह एक अशिक्षित व्यक्ति होने के कारण समय पर उनके द्वारा रेवन्यू रिकार्ड में दुरूस्ती नहीं करवाई जा सकी इसी के चलते दिनांक 19.10.2001 को विक्रम सिंह की मृत्यु हो गई, जिनका मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 14.02.2020 को लिया जाकर उनके वारिसान के नाम से नामान्तकरण भरने हेतु पटवारी हल्का दुगोली को दिया गया जिसमें खसरा नम्बर 396, 522, 523 कुल किता 3 कुल रकबा 8.65 हैक्टर वाकै ग्राम मोल्यासी के 1/9 हिस्से की भूमि जो वादी संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 लगायत 3 के पिता के नाम से थी उसका नामान्तकरण वादीगण के हिस्से में क्रमशः 1/27–1/27 भाग का भर दिया गया लेकिन उसमें वादी संख्या 1 पुष्पा कंवर पत्नी बोदू सिंह, वादी संख्या 2 सरदार सिंह पुत्र बोदू सिंह व वादी संख्या 3 पिंकी कंवर पुत्री बोदू सिंह के नाम से रेवन्यू रिकार्ड जामाबन्दी में भर दिया गया व मृत्यु प्रमाण पत्र सं. 081110070800216 00005/2020 दिनांकित 15.02.2020 के आधार पर वादी संख्या 1 के पति, वादी संख्या 2 लगायत 3 के पिता विक्रम सिंह उर्फ बोदूसिंह का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र में विक्रम सिंह पुत्र विशाल सिंह होने के कारण कृषि भूमि खसरा नं. 304, 305, 306, 308 कुल किता 4 कुल रकबा 3.71 हैक्टर वाकै ग्राम मोल्यासी तहसील धोद जिला सीकर का नामान्तकरण वारिसों के नाम से भरने से पटवारी हल्का दुगोली द्वारा मना करने पर वादीगण ने इसका कारण पूछा तब पटवारी हल्का दुगोली ने वादीगण को यह कहा कि तुम्हारे सभी कागजातो में पिता/पति का नाम विक्रम सिंह है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पिता/पति का नाम विक्रम सिंह है। जबकि उपरोक्त कृषि भूमि में विक्रम सिंह के स्थान पर बोदूसिंह नाम लिखा हुआ है तथा विशाल सिंह के दो जायन्दा पुत्र विक्रम सिंह उर्फ बोदू सिंह व चान्द सिंह तथा एक जायन्दा पुत्री इचरच कंवर ही थे जबकि रेवन्यू रिकार्ड में भूल व सहवन से उम्मेद सिंह पुत्र विशाल सिंह व दीप सिंह पुत्र विशाल सिंह के नाम भी रेवन्यू रिकार्ड में दर्ज कर दिये गये है जिन्हें हटवाने तथा विशाल सिंह की पत्नी सुगन कंवर की मृत्यु दिनांक 19.08.2011 को तथा विशाल सिंह की मृत्यु दिनांक 10.07.1985 को होने के बावजूद भी उनका नाम रेवन्यू रिकार्ड में अंकित चला आ रहा है। जिनका नामान्तकरण भरा जाना भी आवश्यक है। इसलिए माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय धोद के यहां दावा दायर कर इसे दुरूस्त करवाओं तभी नामान्तकरण भरा जावेगा तब उक्त दावा दायर करना आवश्यक हुआ है। यह कि पटवारी हल्का दुगोली से जानकारी लेने के बाद वादीगण तहसीलदार महोदय धोद के पास गये तो उन्होनें माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद के यहां दावा करके रिकार्ड दुरूस्त करवाने की बात कही जिस पर वादीगण द्वारा दिनांक 17.06.2020 को उपरोक्त खसरा नम्बरों की जमाबन्दी लेकर अतिशिघ्र माननीय न्यायालय में दावा पेश किया जा रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि खसरा नं. 304 रकबा 2.64 हैक्टर, खसरा नं. 305 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नं. 306 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं. 308 रकबा 0.52 कुल किता 4 कुल रकबा 3.71 हैक्टर समस्त वाकै ग्राम मोल्यासी पटवार हल्का दुगोली भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र सिहोट छोटी तहसील धोद जिला सीकर (राज0) में वादीगण के पति/पिता का नाम बोदु सिंह भूल व सहवन से बोलचाल की भाषा में होने के कारण लिख दिया गया है जिसे

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु० सीकर

शुद्ध व सही करके भूमि खसरा नं. 304 रकबा 2.64 हैक्टर, खसरा नं. 305 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नं. 306 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं. 308 रकबा 0.52 कुल किता 4 कुल रकबा 3.71 हैक्टर वाकै ग्राम मोल्यासी में वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा सयुक्त रूप से 1/2 रेवन्यू रिकार्ड जामबन्दी में अंकित होना चाहिए था जो भलू व सहवन से उम्मेद सिंह पुत्र विशाल सिंह हिस्सा 3/32, दीप सिंह पुत्र विशाल सिंह हिस्सा 3/32 गलत दर्ज है तथा बोदू सिंह पुत्र विशाल सिंह हिस्सा 1/48, विशाल सिंह पुत्र करण सिंह हिस्सा 1/4, सुगन कंवर पत्नी विशाल सिंह हिस्सा 1/48 है, उनकी मृत्यु होने के बावजूद भी आज तक रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित चला आ रहा है इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 तथा वादीगण का सयुक्त रूप से 1/6 हक हिस्सा रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित किया जाना सादर प्रार्थनीय है। यानि पुष्पा कंवर पत्नी विक्रम सिंह उर्फ बोदू सिंह का हिस्सा 1/18, सरदार सिंह पुत्र विक्रम सिंह उर्फ बोदू सिंह का हिस्सा 1/18, पिंकी कंवर पुत्री विक्रम सिंह/बोदू सिंह का हिस्सा 1/18, चान्द सिंह पुत्र विशाल सिंह का हिस्सा 1/6 व इचरज कंवर पुत्री विशाल सिंह का हिस्सा 1/6 रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में उद्घोषित किया जाकर उसी अनुसार इसे दुरूस्त किया जावें उसी अनुसार रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में विरासत का नामान्तकरण भरा जावे तथा रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में उपरोक्त समस्त खसरा नम्बरान में वादीगण के पति/पिता का नाम बोदू सिंह के स्थान पर विक्रय सिंह दुरूस्त किया जावे तथा उम्मेद सिंह, दीप सिंह पुत्रगण विशाल सिंह, विशाल सिंह पुत्र करण सिंह, सुगन कंवर पत्नी विशाल सिंह व बोदू सिंह पुत्र विशाल सिंह का नाम जमाबन्दी रेवन्यू रिकार्ड से हजफ किया जावे। वाद कारण वादीगण द्वारा दिनांक 15.02.2020 को अपने पति/पिता विक्रम सिंह के मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने तथा उसके बाद विरासत का नामान्तकरण खुलवाने हेतु पटवारी हल्का दुगोली से सम्पर्क करने तथा पटवारी हल्का दुगोली द्वारा नाम दुरूस्त करवाने तथा जमाबन्दी में शुद्धि करवाने की बात कहने पर तहसीलदार महोदय, धोद से सम्पर्क करने पर उक्त त्रुटि का ज्ञान हुआ जिस वादीगण द्वारा यह वाद पत्र पेश किया जाना लाजमी हुआ है। वादीगण के पति/पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 08111007080021600005/2020 दिनांकित 15.02.2020 में वादीगण के पति/पिता का नाम विक्रम सिंह अंकित है ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत दुगोली के प्रमाण पत्र में भी वादीगण के पति/पिता का वास्तविक नाम विक्रम सिंह जबकि बोलचाल की भाष में बोदू सिंह होना तथा बोदू सिंह व विक्रम सिंह एक ही व्यक्ति का नाम होना अंकित है। पुष्पा कंवर के चुनाव पहचान पत्र सीएचएम/1236322 दिनांक 23.01.2006, आधार कार्ड संख्या 8838 2228 7122, जन आधार कार्ड संख्या 4715304812, राशन कार्ड संख्या 00159 में वादी संख्या 1 पुष्पा कंवर के पति का नाम विक्रम सिंह अंकित है। वादी संख्या 2 सरदार सिंह के चुनाव परिचय पत्र संख्या डब्ल्यूयूएल/0500157, आधार कार्ड संख्या 8857, 6179 3881, पेनकार्ड संख्या एमयूजीपीएस0898क्यू में पिता का नाम विक्रम सिंह एवं वादी संख्या 3 पिंकी कंवर निवार्चन आयोग पत्र डब्ल्यूयूएल /1010842, आधार कार्ड संख्या 9592 9844 7043 में पिता का नाम विक्रम सिंह अंकित है इस प्रकार भूल व सहवन से वादीगण के पति/पिता का नाम बोल चाल की भाषा के अनुसार बोदू सिंह अंकित कर दिया गया है तथा ग्राम पंचायत दुगोली द्वारा बोदू सिह उर्फ विक्रम सिंह का वारिस प्रमाण पत्र विशाल सिंह पुत्र करण सिंह का वारिस प्रमाण पत्र तथा उम्मेद सिंह व दीप सिंह का विशाल सिंह के पुत्र न होकर भाई होने का प्रमाण पत्र तथा विशाल सिंह व सुगन कंवर का मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न है। इस आधार पर दीप सिंह, उम्मेद सिंह, विशाल सिंह व सुगन कंवर का नाम हजफ किया जावे तथा बोदू सिंह उर्फ विक्रम सिंह का सही नाम विक्रम सिंह होने के कारण रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित किया जाना कानूनन आवश्यक एवं उचित है। प्रतिवादी संख्या 3 भू धारक होने व नामान्तकरण तस्दीक एवं प्रतिवादी संख्या 4 नामान्तकरण भरने के कारण वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है। दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूचि के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर सादर सावधि प्रस्तुत है। दावा माननीय न्यायालय को सम्पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः वाद

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर कृषि भूमि खसरा नं. 304 रकबा 2.64 हैक्टर, खसरा नं. 305 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा नं. 306 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नं. 308 रकबा 0.52 कुल किता 4 कुल रकबा 3.71 हैक्टर में भूल व सहवन से उपरोक्त कृषि भूमियों में उम्मेद सिंह पुत्र विशाल हिस्सा 3/32, दीप सिंह पुत्र विशाल सिंह का हिस्सा 3/32 लिखा गया जबकि उम्मेद सिंह व दीप सिंह, विशाल सिंह के पुत्र न होकर भाई थे जिनके नाम से रेवन्यू रिकार्ड में गलत नाम दर्ज हो गया तथा विशाल सिंह की मृत्यु दिनांक 10.07.1985 को हो चुकी है जिनके नाम से भी 1/4 हक हिस्सा रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित है तथा विशाल सिंह की पत्नी सुगन कंवर जिनकी मृत्यु दिनांक 19.08.2011 को हो चुकी है जिनके नाम से भी रेवन्यू रिकार्ड में हिस्सा 1/48 अंकित चला आ रहा है। तथा बोदू सिंह उर्फ विक्रम सिंह जो विशाल सिंह के जायन्दा पुत्र थे जिनकी मृत्यु दिनांक 19.10.2001 को चुकी है। जिनके नाम से भी 1/48 हक हिस्सा रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में अंकित चला आ रहा है। इस प्रकार जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 में अंकित नामो में से उम्मेद सिंह पुत्र विशाल सिंह हिस्सा 3/32, दीप सिह पुत्र विशाल सिंह हिस्सा 3/32, विशाल सिंह पुत्र करण सिंह हिस्सा 1/4, सुगन कंवर पत्नी विशाल सिंह हिस्सा 1/48 तथा बोदू सिंह उर्फ विक्रम सिंह पुत्र विशाल सिंह हिस्सा 1/48 का नाम हजब किया जाकर विशाल सिंह के वारिसों प्रतिवादी संख्या 1 चान्द सिंह पुत्र विशाल सिंह तथा विशाल सिंह की जायन्दा पुत्री इचरज कंवर, विशाल सिंह के जायन्दा पुत्र बोदू सिंह उर्फ विक्रम सिंह के जायन्दा पुत्र व पुत्री वादीगण संख्या 2 व 3 तथा पत्नी वादी संख्या 1 के नाम से नामान्तकरण खोला जाकर उनका हिस्सा सम्पूर्ण भूमि का वादीगण के पक्ष में सयुक्त रूप से 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में 1/6 व प्रतिवाद संख्या 2 के पक्ष में 1/6 रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में उद्घोषित किया जाकर उसी अनुसार इसे दुरूस्त किया जावें उसी अनुसार रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में विरासत का नामान्तकरण भरा जावे तथा रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी में उपरोक्त समस्त खसरा नम्बरान में वादीगण के पति/पिता का नाम बोदू सिंह के स्थान पर विक्रय सिंह दुरूस्त किया जावे तथा उम्मेद सिंह व दीप सिंह का विशाल सिंह के पुत्र न होकर भाई होने का प्रमाण पत्र तथा विशाल सिंह व सुगन कंवर का मृत्यु प्रमाण पत्र भी संलग्न है। इस आधार पर दीप सिंह, उम्मेद सिंह, विशाल सिंह व सुगन कंवर का नाम हजफ किया तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन व अमल दरामद किया जावें।

02. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 01 व 02 की ओर से श्री गौरीशंकर सैनी, एड. ने वकालतनामा पेश कर जवाब दावा पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किये जाने पर सहमति बाबत जवाब पेश किया। रिपोर्ट हेतु तहसीलदार, धोद को लिखा गया, जिसके प्रत्युत्तर में तहसीलदार धोद के पत्रांक/भू.अ./2020/2788 दिनांक 07.08.2020 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उपस्थित वकील उभयपक्ष ने प्रकरण में बहस का निवेदन किया।

03. बहस उभयपक्ष से सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने बहस के दौरान कथन किया कि मुताबिक तहसीलदार की रिपोर्ट के वादीगण के वाद को अंतिम डिक्री किया जावे।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व दस्तावेतजात आदि का अवलोकन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया, जिसमें अंकित किया है कि "मौके पर उपस्थित वादीगण, मौतबिरानों के बयानानुसार उक्त प्रकरण में खसरा नम्बर 304, 305, 306, 308 किता–4 कुल रकबा 3.71 हे. में उम्मेदसिंह पुत्र विशाल सिंह व दीपसिंह पुत्र विशालसिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जो कि सहवन से गलत तरीके से दर्ज है। क्योंकि उम्मेदसिंह व दीपसिंह के पुत्र न होकर भाई थे अर्थात् उम्मेदसिंह व दीपसिंह का पिता कर्णसिंह उर्फ करणलालसिंह था।" उपर्युक्त अवलोकन से जाहिर है कि उम्मेदसिंह

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

व दीपसिंह के पुत्र न होकर भाई थे अर्थात् उम्मेदसिंह व दीपसिंह का पिता कर्णसिंह उर्फ करणलालसिंह था, जिसको मुताबिक तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट व प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों के अनुसार वादीगण का वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादीगण का डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा सं. 304 रकबा 2.64 हेक्टेयर, खसरा सं. 305 रकबा 0.47 हेक्टेयर, खसरा सं. 306 रकबा 0.08 हेक्टेयर व खसरा सं. 308 रकबा 0.52 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.71 हेक्टेयर वाके ग्राम मोल्यासी तहसील धोद के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्ठि उम्मेदसिंह पुत्र विशालसिंह हिस्सा– 3/32, चान्दसिंह पुत्र विशालसिंह हिस्सा– 1/48, दीपसिंह पुत्र विशालसिंह हिस्सा– 3/32, विक्रम सिंह पुत्र विशालसिंह हिस्सा– 1/48, विशालसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा 1/4, सुगनकंवर पत्नि विशालसिंह हिस्सा– 1/48 का नाम हजब किया जाकर उक्त के स्थान पर विशालसिंह के जायंदा वारिसान प्रतिवादी सं. 01 चान्दसिंह पुत्र विशालसिंह के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीया सं. 02 इचरज कंवर पुत्री विशालसिंह के नाम 1/6 हिस्सा तथा वादीगण सं. 1 ता 3 (पुष्पा कंवर पत्नी विक्रमसिंह, सरदारसिंह पुत्र विक्रमसिंह तथा पिंकी कंवर पुत्री विक्रमसिंह) के नाम संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा दुरूस्त कर उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए उभयपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। रहन यदि है तो यथावत रहेगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय–डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
न्यायालय सीकर (राज.)

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर

बइजलास मिथलेश कुमार, आर.ए.एस.

पुष्पा कंवर आदि बनाम चान्द सिंह आदि

दावा बाबत उद्घोषणा व रिकॉर्ड संशोधन

मुकदमा नम्बर– 22/2020 निर्णय दिनांक– 08.09.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू मिथलेश कुमार, आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी श्री भवानी सिंह, एड. मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री गौरीशंकर सैनी, एड. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि कृषि भूमि खसरा सं. 304 रकबा 2.64 हेक्टेयर, खसरा सं. 305 रकबा 0.47 हेक्टेयर, खसरा सं. 306 रकबा 0.08 हेक्टेयर व खसरा सं. 308 रकबा 0.52 हेक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.71 हेक्टेयर वाके ग्राम मोल्यासी तहसील धोद के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्ठि उम्मेदसिंह पुत्र विशालसिंह हिस्सा– 3/32, चान्दसिंह पुत्र विशालसिंह हिस्सा– 1/48, दीपसिंह पुत्र विशालसिंह हिस्सा– 3/32, विक्रम सिंह पुत्र विशालसिंह हिस्सा– 1/48, विशालसिंह पुत्र करणसिंह हिस्सा 1/4, सुगनकंवर पत्नि विशालसिंह हिस्सा– 1/48 का नाम हजब किया जाकर उक्त के स्थान पर विशालसिंह के जायंदा वारिसान प्रतिवादी सं. 01 चान्दसिंह पुत्र विशालसिंह के नाम 1/6 हिस्सा, प्रतिवादीया सं. 02 इचरज कंवर पुत्री विशालसिंह के नाम 1/6 हिस्सा तथा वादीगण सं. 1 ता 3 (पुष्पा कंवर पत्नी विक्रमसिंह, सरदारसिंह पुत्र विक्रमसिंह तथा पिंकी कंवर पुत्री विक्रमसिंह) के नाम संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा दुरूस्त कर उद्घोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जावें। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए उभयपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। रहन यदि है तो यथावत रहेगा। तहसीलदार, धोद की रिपोर्ट निर्णय–डिक्री का भाग रहेगा। तदनुसार राजस्व अभिलेख में दुरूस्ती हेतु तहसीलदार, धोद को तहरीर जारी हों।

यह आज तारीख 08.09.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मिथलेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु0 सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

मुहर

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
4. ..... रुपये पर प्लीडर की फीस		आदेशिका की तामील	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		कमिश्नर की फीस	
6. कमिश्नर की फीस			
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	